

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02062026-273065
SG-DL-E-02062026-273065असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]	दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 56
No. 141]	DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISHTHA 4, 1948	[N. C. T. D. No. 56

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस- I/स्थापना शाखा: गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मई, 2026

फा.सं. 1/3/2026/गृह पुलिस-I/स्थापना/1524-1530.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2506 (ई) (फा0 सं0 यू-11030/3/2024-यूटीएल) के साथ पठित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के खंड (1)(प) तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एक विशेष, महिला-हितैषी पुलिस स्टेशन की स्थापना के उद्देश्य से, एतद् द्वारा महिला अपराध प्रकोष्ठ, उत्तर जिला, दिल्ली पुलिस, सब्जी मंडी को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की पूछताछ, पंजीकरण तथा जांच के प्रयोजनार्थ "महिला पुलिस स्टेशन" के रूप में घोषित करते हैं।

ऐसे अपराधों में यौन अपराध (बलात्कार, छेड़छाड़, ईव-टीजिंग, पीछा करना, ताक-झांक आदि सहित), एसिड हमले, मानव तस्करी, दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवाद, दहेज हत्याएं और लैंगिंग अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, स्त्री अशिक्षा रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मामले, साथ ही भारतीय न्याय संहिता तथा अन्य लागू स्थानीय और विशेष कानूनों के अंतर्गत अपराध शामिल होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

“महिला पुलिस स्टेशन –उत्तर जिला” इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से उस संपूर्ण उत्तर जिले पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा जिसके लिए इसे अधिसूचित किया जा रहा है।

उक्त महिला पुलिस स्टेशन, सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन परिसर से संचालित होगा तथा स्थानांतरण होने तक वहीं से संचालित होता रहेगा। यदि स्थानांतरण होता है, तो नए परिसर की सूचना अलग से दी जाएगी। यह व्यवस्था इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रमेश कुमार, उप-सचिव (गृह)

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT BRANCH: HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th May, 2026

F. No.1/3/2026/HP-1/Estt/1524 -1530.— In exercise of powers conferred by Section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), and Clause (1)(u) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. S.O. 2506 (E) dated 28th June 2024, (F. No. U-11030/3/2024-UTL), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with a view to establishing a specialised, women-friendly police station, hereby declares the Crime Against Women Cell, North District, Delhi Police, Subzi Mandi, as a “Women Police Station” for the purposes of conducting enquiries, registration, and investigation of offences against women.

Such offences shall include, but not be limited to, sexual offences (including rape, molestation, eve-teasing, stalking, voyeurism, etc.), acid attacks, human trafficking, complaints relating to dowry harassment, domestic violence, matrimonial disputes, dowry deaths, and cases under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, Dowry Prohibition Act, 1961, Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, as well as offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable local and special laws.

The “Women Police Station–North District” shall exercise jurisdiction over the entire North District for which it is being notified, with effect from the date of issue of this notification.

The said Women Police Station shall operate from the Subzi Mandi Police Station Complex and shall continue to do so unless relocated. In the event of any such relocation, the new premises shall be notified separately. This arrangement shall take effect from the date of issuance of this notification.

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home)